EAST CENTRAL RAILWAY YELLOW BULLETIN

(November -2023, ISSUE NO. 65)

Contains Irregularities/Deficiencies detected during inspections: -

1.	Control Phone VHE Block Tolombons and with the Division of the Control Phone VHE Block Tolombons and with the Control Phone VHE Block Tolombons and the Control Phone VHE Blo
2.	Control Phone, VHF, Block Telephone and magneto Phone was not available at Vaishali.
7.	At LC Gate No - 10 C/T between Lalganj & Vaishali, only one tri colour torch was in working
-	- condition out of 5 (tillee) available. First aid box was also not available
3.	Fire bucket stand, Visibility Test Object and Stretcher was not available at Lalganj station.
4.	Suitable painway is required in East Cabin exchange yard for the movement of Crew during rate
<u> </u>	10 mation at Dain (NTPC).
5.	Train No. 14223/24 arrived at 06.05 hrs and was standing in Line no. 4, but it was not being
<u> </u>	Inguired in Line Block & Clear Register at RGD station fill 18 43 hrs. on 00 11 2023
6.	10wer wagon Shed has been made extending the overlan portion of Line No. 3 at PCD but this is
	not being shown on the Panel. Due to this reason, ignorance is possible in train working and
	difference needs to be shown on the Panel.
7.	Record of Route Initiation at RGD is not being maintained since 21 07 17 for issuing Written
	Authority if any to pass any defective signal. Thus the Authority is being issued manually after
	clamping the points or it is being issued without following proper procedure.
8.	Stretcher, PCP set and ELB were not available in Brake Van of train no 03617 on 24.11.2023.
9.	At LC Gate No. 26C/T at PIRO Yard, retro reflective strips were not provided on boom and Two
	Tri Colour Torch was defective out of three.
10.	Suitable pathway/ levelling of path/cleaning of vegetation is required in between the stabling lines
	in yard for the frequent movement of Staff during Shunting or rake formation at RNCC.
11.	LC Gate No. 35 C/T of PHE Yard has been closed, but it is being shownon Panel and SWR.
12.	The condition of Foot over Bridge of NDU station seems incomplete as no proper approach is
	available to road but it is in use.
13.	Form no. T/369(3b) Sr. no. 193027 to 193037 was issued between 03.11.23 and 14.11.23, cross-
15.	checked with Signal failure Pegister and found that there were no failure and it. 11.23, cross-
	checked with Signal failure Register and found that there was no failure entry in this regard in that register at JHD station.
1/	
14.	Hight Gauge was not provided on L. C. Gate no 43 A/T at SAI Yard.

SPECIAL ATTENTION TO BE PAID: -

1. TI/SS to ensure proper upkeep and maintenance of Records and Registers at stations.

- 2. Sectional Tls/Station Manager to ensure that Monthly Safety Meetings are held and subjects are also covered as per the 'Monthly Meeting Calendar' and instructions given in this regard are followed 100%.
- 3. Accident Register to be properly maintained with diagram and detail.
- 4. Ensure availability of JPOs issued on different matters so that same can be followed.

"Divisions are advised to ensure immediate circulation (in yellow color printout) to all concerned for initiating action and compliance of the above irregularities/anomalies/Special Attention and report to be sent to this office for onward action."

|2|223 (B. K. Das) COM/G/ECR

No.ECR/OPTG. Safety/Yellow Bulletin/87/505

Dated -12.12.2023.

Copy to:-1. PCOM & PCSO- for kind information please.

- 2. DRM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for kind information please.
- 3. Sr.DOM -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.
- 4. ZRTI MFP & BHULI for information please.

पूर्व मध्य रेल येलो बुलेटिन

नवम्बर - 2023, अंक सं-. 65

मुख्यालय द्वारा किए गये निरीक्षण के दौरान पाए गए किमयों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए:-

1.	1, 0,
	वैशाली स्टेशन पर कंट्रोल फोन, वीएचएफ, ब्लॉक टेलीफोन और मैग्नेटो फोन उपलब्ध नहीं था।
2.	लालगंज और वैशाली के बीच एलसी गेट नंबर - 10 सी/टीपर, उपलब्ध 3 (तीन) ट्राईकलर टॉर्च में से केवल एक ट्राईकलर टॉर्च
	काम करने की स्थिति में पाया गया एवं प्राथमिक चिकित्सा पेटी भी उपलब्ध नहीं था।
3.	लालगंज स्टेशन पर फायर बकेट स्टैंड, विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट और स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं था।
4.	एनटीपीसी बाढ़ में रेक निर्माण के दौरान क्रू की आवाजाही के लिए पूर्वी केबिन एक्सचेंज यार्ड में उपयक्त मार्ग की आवश्यकता है।
5.	दिनांक 09.11.2023 को राजगीर स्टेशन पर ट्रेन नंबर 14223/24 सुबह 06.05 बजे पहुंची और लाइन नंबर 4 में खड़ी थी,
	लेकिन 18.43 बजे तक लाइन ब्लॉक एवं क्लियर रजिस्टर में इसे अंकित नहीं किया गया था ।
6.	राजगीर स्टेशन पर लाइन नंबर 3 के ओवर लैप हिस्से का विस्तार करते हुए टावर वैगन शेड बनाया गया है लेकिन इसे पैनल पर
L	नहीं दिखाया जा रहा है। इस कारण से, ट्रेन संचालन में भूल जाना संभव है, इसलिए इसे पैनल पर दिखाया जाना आवश्यक है।
7,	राजगीर स्टेशन पर किसी खराब सिग्नल को पार करने के लिए लिखित प्राधिकार के रूट इन्डिकेशन का रिकॉर्ड दिनांक
	21.07.17 से नहीं रखा जा रहा हैअतः प्राधिकार, मैनुअल क्लैमपिंग के बाद जारी किया जा रहा हैं या उचित प्रक्रिया का
	पालन किए बिना जारी किया जा रहा है।
8.	दिनांक 24.11.2023 को ट्रेन संख्या 03617 के ब्रेक वैन में स्ट्रेचर, पीसीपी सेट और ईएलबी उपलब्ध नहीं पाया गया ।
9.	पीरों यार्ड में एलसी गेट नंबर 26सी/टी, के बूम पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स उपलब्ध नहीं था और साथ ही तीन में से दो ट्राई
	कलर टॉर्च खराब पाया गया ।
10.	राजेन्द्रनगर टर्मिनल यार्ड में शंटिंग या रेक निर्माण के दौरान कर्मचारियों की लगातार आवाजाही के लिए यार्ड में स्टेबलिंग लाइनों
	के बीच उपयुक्त मार्ग/पथ का समतलीकरण/झाड़ी की सफाई की आवश्यकता है।
11.	पहलेजा यार्ड का एलसी गेट नंबर 35 सी/टी बंद कर दिया गया है, लेकिन इसे पैनल और एसडब्ल्यूआर पर दिखाया जा रहा है।
12.	नदौल स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज की स्थिति अधुरी लगती है, सड़क तक कोई उचित रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण यह
	उपयोग में है।
13.	फॉर्म नं. टी/369(3बी) क्रमांक. 193027 से 193037 को 03.11.23 और 14.11.23 के बीच जारी किया गया था, सिग्नल विफलता
	रजिस्टर के साथ क्रॉस-चेक किया गया और पाया गया कि जहानाबाद स्टेशन पर उस रजिस्टर में इस संबंध में कोई विफलता
	प्रविष्टि नहीं की गई थी।
14.	सराय थार्ड में एल.सी. गेट नंबर 43 ए/टी पर हाइट गेज उपलब्ध नहीं कराया गया था।
$\overline{\Delta}$	

विशेषरूपसेध्यानदें :

- १. यातायात निरीक्षक अधीक्षक स्टेशन/स्निश्चितकरें कि स्टेशनों पर अभिलेखों एवं रजिस्टरों का रख-रखाव उचित ढंग से किया
- २. खंडीय यातायात निरीक्षक/स्टेशन प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि मासिक सुरक्षा बैठकें आयोजित की जाएं और विषयों को 'मासिक बैठक कैलेंडर' के अनुसार कवर किया जाए और इस संबंध में दिए गए निर्देशों का100 % पालन किया जाए।
- ३. दुर्घटना रजिस्टर को घटना के विस्तृत व्यौरा एवं मानचित्र के साथ सही प्रकार से रख-रखाव किया जाय।
- ४. स्निश्चित करें कि विभिन्न विषयों और मृद्दों पर जारी किए गए JPOs उपलब्ध हैं एवं इसका पालन किया जा रहा है।

"मंडलों को सलाह दी जाती है की सर्वसंबंधित को तत्काल वितरित कर कार्यवाही स्निश्चित करे और उपरोक्त अनियमितताओं/विसंगतियों/ विशेषध्यान के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट इस कार्यालय को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।"

मुख्य परिचालन प्रबंधक (सा.)/हाजीपुर

सं. ई.सी.आर. /परि.सं./ येलोबुलेटिन/ 87 /505,

दिनांक 12.12.2023

प्रतिलिपि- 1.प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।

- 2. मंडल रेल प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थे।
- 3. वरि.मं.परि.प्रबंधकधनबाद, दानापुर, डी.डी.यूँ सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु। 4. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सूचनार्थ।